



2026:AHC:41493

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
रिट - सी सं. - 7343 वर्ष 2026

रामराज

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 12 अन्य

..... प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(ओं) की ओर से अधिवक्ता : अनुराग उपाध्याय
प्रतिवादी(यों) की ओर से अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तावित आदेश को दृष्टिगत रखते हुए, प्रतिपक्षीगण को नोटिस जारी कर इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखना कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं करेगा। तथापि, यदि प्रतिपक्षीगण इस आदेश से स्वयं को प्रभावित/व्यथित अनुभव करते हैं, तो उन्हें इस आदेश के संशोधन/परिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मुख्य राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या-2/अपर आयुक्त (प्रशासन), आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ को निर्देशित किया जाए कि वे अपील संख्या-1306 वर्ष 2024 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या-सी202415000001306) का शीघ्र निर्णय करें।
4. उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष काफी समय से लंबित है तथा पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के बावजूद आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, वर्तमान याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या-2/अपर आयुक्त

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(प्रशासन), आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ उपर्युक्त पुनरीक्षण/अपील का विधि के अनुसार कड़ाई से तथा यथाशीघ्र, अधिमानतः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर, अनावश्यक स्थगन दिए बिना, निर्णय करें, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)

24 फरवरी, 2026

सकलैन

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।